महिला एवं बाल सम्मान कोष के बारे में

- हिंसा की शिकार महिलाओं को पुनर्निर्माण सर्जरी सहित आर्थिक और चिकित्सा राहत सुनिश्चित करें और शैक्षिक सहायता के लिए, ऐसे पीड़ितों के नाबालिग बच्चों को भी आवश्यकता पड़ने पर शैक्षिक और चिकित्सा सहायता दी जाए।
- उन महिलाओं/लड़कियों को सहायता प्रदान करना जो सीधे तौर पर हिंसा की शिकार नहीं हैं लेकिन उन्हें महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की आवश्यकता है।
- फंड में सार्वजनिक योगदान का उपयोग या तो योगदानकर्ता की इच्छानुसार किसी विशिष्ट जिले में किसी विशिष्ट गतिविधि के लिए किया जा सकता है, या फंड में सामान्य योगदान के रूप में किया जा सकता है।

महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाएं –

उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष–

उ0प्र0 राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन के अधीन उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष का क्रियान्वयन वर्ष 2015-16 के सरकार के चिन्हित कार्यक्रमों में से एक है। कोष का संचालन जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं/ बालिकाओं को तत्कालिक आर्थिक एंव चिकित्सीय राहत उपलब्ध कराये जाने हेतु किया जा रहा है।
उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष अन्तर्गत महिला अपराधों से सम्बन्धित नौ धाराओं में पीड़िताओं को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान है-
1. धारा 326क (तेजाब का उपयोग करने जानबूझकर गहरी चोट पहुचाना),
2. धारा 304 ख (दहेज मृत्यु),
3.धारा 376 क (बलात्कार जिसके परिणाम स्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाय या वह स्थायी निष्क्रियता की अवस्था मे पहुच जाय),
4.धारा 376 ग (किसी प्राधिकारवान द्वारा किया गया यौनिक समागम),
5.धारा 376 घ (सामूहिक बलात्कार),
6.धारा 4 पाक्सो (प्रवेशक लैंगिक प्रहार),
7.धारा 6 पाक्सो (गंभीर प्रवेशक लैंगिक प्रहार),
8.धारा 14 पाक्सो (अश्लील प्रयोजनो हेतु बच्चो का उपयोग),
9.भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के साथ पठित पाक्सो की धारा 4 या धारा 6 या (पेनेट्रेटिव लैंगिक हमले के साथ अवयस्क की मृत्यु) की पीड़िताओं को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान है।

उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजनान्तर्गत जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं/ बालिकाओं को आर्थिक एवं चिकित्सीय सहायता प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023–2024 हेतु इस योजनान्तर्गत 56 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा ई-गवर्नेंस पहल एवं उपलब्धि

रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष

http://msk.upsdc.gov.in

एन.आई.सी. द्वारा ऑनलाइन पोर्टल 'रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष' का विकास किया गया, जो जघन्य हिंसा के पीड़ित महिलाओं को रखरखाव, शिक्षा और पुनर्निर्माण सर्जरी और ऐसे पीड़ितों के नाबालिग बच्चों के लिए मौद्रिक और चिकित्सा राहत सुनिश्चित करने में मदद करती है।

- जघन्य अपराधो से पीड़ित महिलाओ और बच्चियों को सीधे आर्थिक एवं स्वास्थ राहत
- अपराध पता लगाने हेतु पुलिस सर्वर से इंटीग्रेशन|
- महिला के आत्मसम्मान की पूरी सुरक्षा किसी प्रकार का आवेदन देने की ज़रुरत नहीं|
- मेडिको-लीगल एवं चार्जशीट में तीव्रता
- महिला एवं बाल कल्याण, पुलिस, स्वास्थ तथा कोषागार का एकीकरण|
- पी.एफ.एम.एस. द्वारा राहत की धनराशि सीधे पीड़िता के खाते में|
- 225 आहरण वितरण अधिकारियों के स्थान पर सम्पूर्ण प्रदेश का आहरण वितरण एक जगह से.

निम्नलिखित श्रेणियों के तहत अब तक किए गए भुगतान की संख्या:

• एसिड अटैक	- 142
• POCSO केसेस	- 1704
• केसेस आफ सेक्सुअल वाइलेन्स	- 498
• दहेज हत्या	- 1014
• कुल भुगतानित धनराशि	- 116.96 Crore

उत्तर प्रदेश ₹ बजट 2023-24

प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध उत्तर प्रदेश सरकार

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अन्तर्गत कन्या भ्रूण हत्या की रोक-थाम के लिये जागरूकता कार्यक्रम

रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजनान्तर्गत महिलाओं/ बालिकाओं को आर्थिक एवं चिकित्सीय सहायता हेतु 56 करोड़ रुपये आवंटित

मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अन्तर्गत पंजीकृत महिला श्रमिक को प्रसव की दशा में तीन माह का वेतन एवं चिकित्सा बोनस